निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 7(4)प्र.निती/अकाद/निकाशि/13/152 दिनांक 29 अप्रेल, 2013

परिपत्र

महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के सम्पूर्ण विकास तथा उन्हें शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा कैरियर/रोजगार संबंधी अतिरिक्त ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों तथा विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ संचालित किये जाते हैं परन्तु देखने में आया है कि कई महाविद्यालयों में या तो सभी गतिविधियां संचालित होती है या कुछ महाविद्यालयों में एक भी गतिविधि उचित रूप से संचालित नहीं होती है। इसी प्रकार कुछ महाविद्यालयों में कुछ गतिविधियां होती भी हैं तो छात्र–छात्राओं का उनसे जुडाव नहीं हो पाता है इसलिए इस संबंध में निदेशालय द्वारा इन सभी गतिविधियों तथा प्रकोष्ठों को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रवेश नीति 2013–14 में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

प्रायः महाविद्यालयों में निम्न गतिविधियां एवं प्रकोष्ठ संचालित हो रहे हैः–

1. नेशनल केडिट कोर (NCC)
2. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)
3. रोवर/रेंजर (स्काउट)
4. युवा विकास केन्द्र/महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार क्लब

उपरोक्त गतिविधियों से यदि छात्र–छात्राओं को उनके प्रवेश के प्रथम वर्ष से ही जोड दिया जावे तो वे अपने पूरे अध्ययनकाल के दौरान इन गतिविधियों में जुडे रहने से अपने साथ अन्य सहपाठियों को भी लाभान्वित करने का अवसर बढ जायेगा। अतः इस सत्र 2013–14 के प्रवेश आवेदन पत्र (Admission Form) में अनिवार्य रूप से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से निम्नलिखित कॉलम पूर्ति करवायेः–

प्रश्न :–आप द्वारा महाविद्यालय में किन गतिविधियों में भाग लेना तय किया है?(प्राथमिकता 1,2,3,4 में नीचे लिखी गतिविधियों के समक्ष अपनी वरियता अनुरूप अंकित करें)

(क) NCC ☐

(ख) NSS ☐

(ग)रोवर/रेंजर ☐

(घ)युवा विकास केन्द्र/मानवाधिकार क्लब/महिला प्रकोष्ठ ☐

विद्यार्थी उपरोक्त 4 गतिविधियों में 1 से 4 प्राथमिकता देंगे जिसके आधार पर प्रवेश प्रकिया पूरी होने के उपरान्त एक **युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ** के द्वारा सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की काउन्सलिंग की जाये जिसमें उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर तथा गतिविधियों की आवश्यकता अनुरूप सही चुनाव करने में मदद करेगा। इस प्रकोष्ठ में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. प्रभारी एनसीसी
2. कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस
3. रेंजर लीडर/रोवर लीडर
4. प्रभारी, युवा विकास केन्द्र/प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ/प्रभारी, मानवाधिकार क्लब

उक्त प्रकोष्ठ का गठन प्राचार्य के आदशों से किया जावे तथा इन सदस्यों पर उपाचार्य अथवा वरिष्ठतम व्याख्याता को युवा कौशल प्रकोष्ठ का समन्वयक बनाया जा सकता है। यह प्रकोष्ठ छात्र—छात्राओं को गतिविधि आवंटित करते हुए 20 जुलाई तक आवंटित गतिविधियों की **सूचना निदेशालय में समन्वयक, युवा कौशल विकास को प्रेषित** करना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को एक गतिविधि का चयन करना अनिवार्य है तथा अन्य गतिविधियों में वह प्रकोष्ठ से अनुमति प्राप्त कर भाग ले सकता है।

अतः सत्र 2013—14 में प्रवेश फार्म में उक्त प्रश्न/कॉलम शामिल करना सुनिश्चित करें, यह प्राचार्य की प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ7 (५) प्र.नीति/निकाशि/13/ दिनांक:29 अप्रेल, 2013

प्रतिलिपि:—

1.समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।

2.समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को पालनार्थ प्रेषित है कि वे प्रवेश फार्म छपवाते समय इस पत्र का ध्यान रखें तथा महाविद्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रवेश प्रकिया के समय चस्पा करें।

3.समन्वयक, एनएसएस, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4.एनसीसी/एनएसएस/रेंजर लीडर/रोवर लीडर/युवा विकास केन्द्र, महिला प्रकोष्ठ, मानवाधिकार क्लब पत्रावलियों में लगाने हेतु।

5.स्थापना शाखा।

6.डा० धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाईट, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

निदेशक